

आमल - जयपुर रजिस्ट्री ऑफिस

दस्तावेज

हुक्म या कार्यवाही मय हनिशेयलस जज

नंबर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

उनवान सरकार बनाम

सुखपाल कान्त गुजराते

मुकदमा नं० 428/16

निर्णय दि० 27-6-18

27/6/18

प्रकल्पित प्रेसाइडेंट / अफीम जयपुर जजिस्ट्री  
ऑफिसियल द्वारा प्रेस आर्गन का बर्ड  
7 किलो 11 ग्राम वीर पर अफीम जयपुर  
की बहस सुनी गई। प्रकल्पित या अफिलेन  
किता व बहस का बजन किया।

प्रकल्पित पर जयपुर सप्लायमेंट  
बोर्ड से साबित है कि जजिस्ट्री अफिलेन या  
दि० 31-8-1995 को बजाई के सम्पत्तिगत  
किता जा चुका है तथा जजिस्ट्री पर  
जयपुर जजिस्ट्री अफिलेन की जयपुर जजिस्ट्री  
सन् 2069-72 के भी जजिस्ट्री अफिलेन की  
किता जे० ए० बजाई कर है।  
कायूना जजिस्ट्री अफिलेन बजाई होने  
से उन्हें बाद राबल बजाकर में नहीं  
पता सकला। अफीम जजिस्ट्री द्वारा प्रेस  
अफिलेन ATR 2015 RAS पैर - 40 एत प्रकल्पित  
पर पकटा घेने है।

बदल जजिस्ट्री द्वारा प्रेस आर्गन का  
बर्ड 7 किलो 11 ग्राम वीर बजाकर किता जलावे  
तथा जजिस्ट्री अफिलेन बजाई की अफिलेन होने  
के बावजूद राबल जयपुर को किता सुबल  
का प्रेसाइडेंट नहीं होने से राबल बजाई  
अफिलेन किता जलावे। प्रकल्पित किता

अफिलेन बजाकर में बजाई हो जजिस्ट्री पर  
द्वारा जजिस्ट्री बजाकर उनके जयपुर के उ नाम

जयपुर  
अधिकारी